न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोक

(रजनी मीणा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या :– 95/2020
निर्णय दिनांकः– 04.02.2021

1. बंसी पुत्र धूलया जाति कुम्हार निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
2. सत्यानारायण पुत्र धूलया जाति कुम्हार निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
3. सीताराम पुत्र धूलया जाति कुम्हार निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
4. हीरालला पुत्र धूलया जाति कुम्हार निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
5. मोहनलाल पुत्र धूलया जाति कुम्हार निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
6. मन्नी पुत्री धूलया जाति कुम्हार निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
7. अजोध्या पुत्री धूलया जाति कुम्हार निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक

– प्रार्थीगण

बनाम

1. सुरेश चन्द पुत्र रमेश चन्द जाति महाजन निवासी वार्ड न0 14 उनियारा तह0 उनियारा जिला टोंक
2. तहसीलदार उनियारा जिला टोक

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः– श्री बरकत्तुला खां वकील प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 137 रकबा 1.13 है0 वाके ग्राम उनियारी तहसील उनियारा मे स्थित है। उक्त आराजी मे पूरव दिशा में नहर हैं तथा नहर पर आने जाने के लिए वर्षो से रास्त बना हुआ है। तथा आराजी पर प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से आराजी ख0न0 135 व 136 तथा ख0न0 136 की मेड पर से होकर आते जाते रहे है तथा इसी रास्ते से होकर अपने कृषि उपकरण, ट्रैक्टर ट्रोली हल बैल कुली इत्यादि लाते ले जाते रहे है जिससे आने जाने का प्रार्थीगण को सुखाधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि वादग्रस्त आराजी पर आने जाने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता भी नही है। जो कि प्रतिपक्षीगण ने पर चारो ओर चीरे गाडकर तारकशी कर प्रार्थीगण के रास्ते को बंद करने पर आमाद है। जिससें अपनें खातेदारी की भूमि में आने–जाने में अवरोध उत्पन्न हो गया है, जिसका उसे कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि उक्त रास्ता बन्द कर दिया गया तो प्रार्थीगण अपने जायज हक व अधिकारो से वंचित हो जायेगा। प्रार्थीगण नियमानुसार डीएलसी रेट के अनुसार जमा करवाने को तैयार है।

यह कि प्रार्थीगण की अधियाचना है कि प्रार्थीगण को अपने खातेदारी की भूमि ख0न0 137 रकबा 1.13 है0 वाके ग्राम उनियारी तहसील उनियारा पर आने जाने हेतु पुर्व की भांति आराजी ख0न0 135 ख0न0 136 की मेड के सहारे 12 फीट चौडा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करते हुए प्रार्थीगण को नियमानुसार डीएलसी रेट की राशि जमा करवाने का आदेश फरमाया जावे।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजि0 कर प्रतिपक्षीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिपक्षी की और से कोई उपस्थित नही हुआ। प्रतिपक्षी न0 1 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार उनियारा से मौका रिपोर्ट तलब की गई। मुताबिक मौका रिपोर्ट मौके पर आराजी ख0न0 137 वाके ग्राम उनियारी तहसील उनियारा में आने जाने के लिए वर्तमान मे कोई रास्ता दर्ज नही है। उक्त आराजी पर आने जाने के लिए ख0न0 136 एवं 135 की मध्य की मेड से है । तथा प्रार्थीगण

S.Re.251a.134

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

की खातेदारी पर जाने के लिए सबसे नजदीश रास्ता 136 की मेड पर से है। प्रार्थीगण को अपने खातेदारी पर जाने के लिए कोई निश्चित रास्ता नही हें अपने खेत पर नजदीश्क वाले जिसका भी खेत खाली रहता था उसमें से होकर निकलता था।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण वकील ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो का दौरान कथन किया की प्रार्थीगण अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 137 रकबा 1.13 है0 वाके ग्राम उनियारी तहसील उनियारा पर आने जाने हेतु पुर्व की भांति आराजी ख0न0 135 ख0न0 136 की मध्य की मेड के सहारे 12 फीट चौडा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करते प्रार्थीगण डीएलसी रेट के अनुसार राशि का भुगतान करने को तैयार है।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस पर गौर किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व तहसीलदार उनियारा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी संवत् 2069–2073 वाके ग्राम उनियारी खाता संख्या 50 ख0न0 137 रकबा 1.13 है0 प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 137 पर आने–जाने के लिए वर्तमान में कोई रास्ता दर्ज नही है। तहसीलदार उनियारा के रिपोर्ट अनुसार उनियारा ख0न0 137 पर आने–जाने के लिए नजदीश रास्ता ख0न0 136 एवं 135 की मध्य की मेड मे से होकर आम रास्ता तक हो सकता है। यह रास्ता सबसे छोटा रास्ता है। जो उपयुक्त है। वर्तमान मे रास्ता बंद करने के कारण प्रार्थीगण को दिया जाने वाला रास्ता न्यायोचित प्रतित है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को खातेदारी भूमि ख0न0 137 में आने–जाने के लिए ख0न0 136 एवं 135 की मध्य की मेड पर से ख0न0 148 तक 4 मीटर चोडा रास्ता दिया जाकर तहसीलदार उनियारा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त रास्ते कि लम्बाई, चौडाई नाप कर राजस्थान स्टाम्प नियम के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित भूमि कीमत की दौ गुनी राशि अप्रार्थी को दिया जावे। उक्त आदेशानुसार रास्ते का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जाये। रास्ता सिर्फ प्रार्थीगण के लिये उपयोग हेतु नही होकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 04.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रजनी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

S.Re.251a.135